भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 494

26 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज में गिरावट

494. श्री एस.निरंजन रेड्डीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज में गिरावट आई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसान शामिल किए गए है;

(ग) कवरेज में गिरावट को दूर करने और बाढ़, बेमौसम बारिश और लू से फसल को होने वाले नुकसान से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गैर-ऋणी किसानों के नामांकन हेतु आरंभ किए गए मध्यस्थ नामांकन ऐप (एआईडीई) का क्या प्रभाव है और उसके द्वारा कवरेज बढ़ाने की पहल क्या है; और

(ङ) निजी बीमा कंपनियों को पीएमएफबीवाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और गैर-राजस्व अर्जित करने वाले ग्रामीण बाजारों को इसमें शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) जी नहीं, इस योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण, वर्ष 2023-24 में कवर किया गया सकल फसल क्षेत्र (जीसीए), वर्ष 2022-23 में 501 लाख हेक्टेयर की तुलना में 598 लाख हेक्टेयर था, जो 19% से अधिक की वृद्धि है। वर्ष 2022-23 में 3.17 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में नामांकित किसानों की संख्या 3.97 करोड़ थी, जो 25% से अधिक की वृद्धि है। इसलिए, क्षेत्र और किसानों का कवरेज अब तक के उच्चतम स्तर पर है। हाल ही में झारखंड और तेलंगाना राज्यों ने भी इस योजना में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र और किसानों का कवरेज अधिक बढ़ने की संभावना है। यद्यपि यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है, फिर भी वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-ऋणी किसानों की कवरेज योजना के तहत कुल कवरेज का 55% तक बढ़ गया है, जो योजना की स्वैच्छिक स्वीकार्यता/लोकप्रियता को दर्शाता है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में योजना में शामिल किसानों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) यद्यपि कवरेज में कमी नहीं आ रही है और इसमें वृद्धि हो रही है, तथापि, योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव तथा हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे (क) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष करना; (ख) तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल अर्थात लाभ एवं नुकसान साझाकरण, कप एवं कैप (60-130), कप एवं कैप (80-110) की शुरूआत, जिसके अंतर्गत यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के कोष में जाएगा; (ग) उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश अर्थात राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी), Yield Estimation System based on Technology (YES-TECH), Weather Information Network and Data System (WINDS), Collection of Real time Observations and Photographs of Crops (CROPIC), एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण, एनसीआईपी पर Digiclaim module, ताकि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करते हुए दावों का निपटान सीधे किसानों के खाते में किया जा सके; (घ) योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार के लिए आईईसी गतिविधियों आदि में वृद्धि की गई। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण योजना के अंतर्गत कवरेज वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है और किसान बैंक ऋण की सदस्यता के बजाय स्वेच्छा से इस योजना में शामिल हो रहे हैं।

(घ) खरीफ 2023 में बीमा मध्यस्थों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से किसानों के घर- घर नामांकन के लिए **AIDE (App for Intermediary Enrolment)** नामक एक स्मार्ट-फोन ऐप तैयार किया गया है और इसे शुरू किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से कागज़-रहित और नकदी-रहित अनुभव प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान AIDE के माध्यम से लगभग 4.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 6.88 लाख किसान आवेदनों को नामांकित किया गया है। चालू खरीफ 2024 सीजन के दौरान 3.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 5.88 लाख किसानों के आवेदन दर्ज किए गए हैं, जबकि खरीफ 2023 सीजन के लिए 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 2.77 लाख किसानों के आवेदन दर्ज किए गए थे।

(ङ) वर्ष 2023-24 में 2 नई साधारण बीमा कंपनियों के पैनल में शामिल होने के साथ ही देश में पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के लिए 15 निजी क्षेत्र और 5 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित कुल 20 साधारण बीमा कंपनियों को पैनल में शामिल किया गया है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और 2023-24 के दौरान 15 कंपनियों ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया है, जबकि 2020-21 के अंतिम बोली चक्र में 11 कंपनियों ने भाग लिया था। वित्तीय संस्थानों के अलावा, योजना के तहत नामांकन के लिए सीएससी, ऑनलाइन नामांकन, डाकघरों, एआईडीई ऐप आदि जैसे विभिन्न नए चैनल खोले गए हैं।

रा.स.अता.प्र.सं.494

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24) के दौरान बीमित किसानों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य	बीमित किसान
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,191
आंध्र प्रदेश	1,09,28,981
असम	10,77,244
छत्तीसगढ	79,49,642
गोवा	540
हरियाणा	52,03,597
हिमाचल प्रदेश	12,57,290
जम्मू एवं कश्मीर	2,50,901
झारखंड	9,50,117
कर्नाटक	1,12,13,573
केरल	3,68,599
मध्य प्रदेश	2,31,06,704
महाराष्ट्र	3,22,79,457
मणिपुर	11,815
मेघालय	31,919
ओडिशा	88,26,008
पुदुचेरी	58,683
राजस्थान	2,60,06,099
सिक्किम	9,858
तमिलनाडु	67,22,167
तेलंगाना	9,52,960
त्रिपुरा	10,48,597
उत्तर प्रदेश	1,74,63,800
उत्तराखंड	8,98,773
सकल योग	**15,66,18,515**

******